न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

दायर दिनांक 06.08.2025

प्रकरण संख्या / 177 / 2025

उनवान

1. मांगीलाल पिता नाथू लाल सौमानी आयु वयस्क निवासी धमाना तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
2. कैलाशचन्द्र पिता नाथू लाल सौमानी आयु वयस्क निवासी धमाना तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
3. सुनील कुमार पिता सत्यनारायण सौमानी आयु वयस्क निवासी धमाना तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
4. मु0 गीता देवी विधवा सत्यनारायण सौमानी आयु वयस्क निवासी धमाना तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
5. अभीशेख पिता बंशीलाल सौमानी आयु वयस्क निवासी धमाना तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
6. मु0 अम्बा देवी पत्नी बंशीलाल सौमानी आयु बयस्क निवासी धमाना तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

—— वादीगण

बनाम

1. मिठूलाल उर्फ भैरूलाल पिता मोहनलाल जाति जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
2. मु0 बदाम बाई पत्नी रामलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी धमाना तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
3. मु0 मुन्नी कुमारी पिता बंशीलाल निवासी धमाना पत्नी अनिल कुमार पूंगलिया हाल मुकाम पुठौली तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 30.04.2026

–:निर्णयः–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा धमाना तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आ0नं0 2353 रकबा 0.36 हैक्ट0 स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 वादीगण की बहन की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है उक्त आराजी में वादीगण के भाई गोवर्धनलाल का भी 1/5 हिस्सा था उसमें से कुछ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 मु0 बदामी को बेचा तथा शेष 0.03 हैक्ट0 आराजी प्रतिवादी नं0 1 मिठूलाल उर्फ भैरू जाट दिगर गांव गिलुण्ड वाले को बेची है आराजीयात वादीगण के पिता नाथुलाल जी के मरने के बाद उनके वारीसान वादीगण तथा प्रतिवादी नं0 3 के नाम पर अंकित हुई वादी नं0 3 व 4 नाथु लाल के मृत पुत्र सत्यनारायण के वारिस है। तथा वादी नं0 5, 6 व प्रतिवादी नं0 3 सुनिल कुमार नाथूलाल मुल खातेदार के मृत पुत्र बंशीलाल के वारिस थे।

यह कि विवादीत आराजीयात पर वादीगण व प्रतिवादीया नं0 3 का संयुक्त कब्जा है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने 1/5 हिस्सा वादीगण नं0 1 व 2 के भाई गोरधन लाल पिता नाथूलाल से खरीद किया है तथा खरीद से 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर आया है इस प्रकार प्रतिवादी नं0 1 व 2 स्ट्रेन्जर है यह दोनो हमारे भाई गोवर्धन के हिस्से को खरीद कर संयुक्त खातेदार बने है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

यह कि कानून के अनुसार हमारे भाई गोवर्धन के खरीद से प्राप्त 1/5 हिस्से से बने संयुक्त खातेदार को बिना विभाजन कराये विवादीत आराजीयात पर कब्जा नही कर सकते है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 2 बदाम बाई भी स्ट्रेन्जर संयुक्त खातेदार काश्तकार है लेकिन प्रतिवादी नं0 02 बदाम बाई स्ट्रेन्जर होते हुए कोई कब्जा नही कर रही है लेकिन प्रतिवादी नं0 1 मिठूलाल उर्फ भैरूलाल जाति जाट निवासी धमाणा से 20 किलोमीटर दूर गांव गिलुण्ड तहसील रेलमगरा का रहने वाला है इसका मौके पर कोई कब्जा नही है प्रतिवादी नं0 1 मिठूलाल उर्फ भैरूलाल विवादीत आराजीयात पर जबरदस्ती नाजायज कब्जा करना चाहता है जबकि कानुन के अनुसार वाद दायर कर विभाजन के बाद से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है लेकिन प्रतिवादी नं0 1 गैरकानून ढंग से वादीगण का कब्जा हटाकर नाजायज कब्जा करना चाहता है प्रतिवादी ने इस आराजी में से 0.03 हैक्ट0 भूमि 21/11/2008 को खरीद की थी लेकिन आज तक इस प्रतिवादी नं 1 ने वाद दायर कर बंटवाडे से कब्जा प्राप्त नही किया। प्रतिवादी नं0 1 मिठूलाल उर्फ भैरू दिनांक 25.11.2014 को विवादीत आराजीयात पर आया व जबरदस्ती नाजायज कब्जा करने की कोशिश की तथा वादीगण के कब्जे में दखलन्दाजी की व वादीगण के संयुक्त उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी की इसलिए प्रतिवादी नं0 1 मिठू उर्फ भैरू जाट को स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है नही तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसे रूपयों में पुरा नही किया जा सकेगा एव ऐसी क्षति होगी जिसे रूपयों में आंका भी पुरा नही किया जा सकेगा।

वादकारण दिनांक 25.11.2014 को पैदा होता है उसके बाद प्रतिदिन पैदा हो रहा है।

पक्षवादीगण व प्रतिवादी नं0 3 के स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी फ़रमाई जावें कि वाके मौजा धमाणा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित आ0नं0 2353 रकबा 0.36 हैक्ट0 में वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें तथा आराजी जैरपर किसी हिस्से पर नाजायज कब्जा नही करें। तथा आराजीयात जैरबहस को दिगर किसी को हस्तान्तरित नहीं करे न ही खुद ऐसा करें न ही अपने परिवार के सदस्य या नौकर एजेन्ट से करावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से पूर्व में दिनांक 09.04.2015 को एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद्ध दिनांक 05.12.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया तथा दिनांक 16.04.2026 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्यवादी में मांगीलाल, लोकेश, कनकमल का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि वादवर्णित आराजीयात वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम संयुक्त दर्ज रेकार्ड है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की चाही है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 संयुक्त उपयोग उपभोग में व संयुक्त कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा नही डाले तथा वादीगण का संयुक्त कब्जा नही हटावें। तथा विवादीत आराजीयात में किसी हिस्से को किसी प्रकार से किसी को हस्तान्तरित नही करे। हमनें प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 संयुक्त खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि वादवर्णित आराजीयात में विधिवत बटवाडा होने तक उभयपक्ष राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तिरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) कपासन